कोजूराम बनाम रामेश्वरलाल

27-12-22

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा सिविल प्रकिया संहिता, 1980 की धारा 96 पर का जवाब एवं लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए अपीलांट् की अपील लोकस स्टेण्डाई के बिन्दु पर खारिज करने की मांग दिनांक 13–12–2022 को किये जाने पर अपीलांट् द्वारा दिनांक 21–12–2022 को रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूल, पाई II के नियम 17 के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा धारा 96 सीपीसी का जवाब व लिखित बहस एक साथ प्रस्तुत की गई है, जबकि कानूनी रूप से दो अलग–अलग स्ब्जेक्ट मेटर पर अलग–अलग जवाब व लिखित बहस प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। इस प्रकार प्रस्तुत अपील में वर्तमान में न्यायालय के समक्ष दो प्रश्न विचाराधीन है, प्रथम क्या रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल पार्ट II के नियत 17 के प्रावधान लागू होते है अथवा नहीं? व दूसरा प्रश्न कि अपीलांट धारा 96 सीपीसी के प्रावधानों के तहत अपीलाधीन आदेश से किसी प्रकार से व्यथित पक्षकार है अथवा नहीं?

प्रकरण में सर्वप्रथम अपीलांट् की आपत्ति की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक ही प्रार्थना पत्र में जवाब व लिखित बहस प्रस्तुत की गई है जोकि रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल पार्ट II के नियम 17 के प्रावधानों के विपरीत होने से रिकार्ड पर नहीं लिया जावे। प्राथमिक आपत्ति पर उभय पक्षों को सुना गया। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का जवाब व लिखित बहस एक साथ प्रस्तुत की गई है। जिसका मुख्य आधार यह लिया गया है कि अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित किस प्रकार रहे है कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है तथा मात्र कयासों व बनावटी तथ्यों के आधार पर अपील पेश करने की अनुमति चाही गई है। इसी कथन के साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत का हवाला देते हुए अपील को लोकस स्टेण्डाई के बिन्दु पर खारिज करने की मांग जवाब प्रस्तुत करते हुए की गई है।

राजस्व अपील अधि.
बीकानेर

इस संबंध में न्यायाल का यह मत है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा धारा 96 सीपीसी का जवाब व लिखित बहस प्रस्तुत किया जाना एक ही विषयवस्तु से संबंधित व एक ही आराजी के बाबत् अनुतोष की मांग करना भिन्न–भिन्न अनुतोष नहीं होकर परस्पर अनुषांगिक (Ancillary) अनुतोष है। ऐसी स्थिति में रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल के नियम 17 के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत अपीलांट् की प्राथमिक आपत्ति खारिज की जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि अपीलांट् को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है क्योंकि अपीलांट् अपीलाधीन आदेश से किसी प्रकार से व्यथित पक्षकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र का मुख्य आधार यह लिया गया था कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी वादग्रस्त भूमि ग्राम खारी चारणान के पुराना खसरा नम्बर 196 जिसके नये खसरा नम्बर 231/196, 659/196 तादादी 50 बीघा बारानी कृषि भूमि वर्ष 1975 से आवंटित भूमि रही है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी का आराजी जैर पर निरन्तर कब्ज काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा इसी आधार पर वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की मांग किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा स्टेट जोकि भूमिधारक होता है, का जवाब प्राप्त करते हुए व यह पाये जाने पर कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी का वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है, के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी का वाद स्वीकार करते हुए खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे। ऐसी स्थिति में अपीलांट् उक्त आदेश से किसी प्रकार से व्यथित पक्षकार नहीं है। अपीलांट् की अपील का मुख्य आधार यह लिया गया है कि वह ग्राम खारी चारणान के जागरूक निवासी है तथा उक्त भूमि कचरा संग्रहण हेतु एवं ओरण एवं चारागाह की भूमि है जिसके गलत रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अदालत मातहत के समक्ष स्टेट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसमें ऐसा कहीं अंकन नहीं है कि उक्त भूमि कचरा संग्रहण अथवा

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

ओरण की भूमि रही हो।

इसी के साथ अपीलांट् द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन पर भी प्रश्न चिन्ह् लगाया गया है, परन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में अपील के अवलोकन मात्र से साबित है कि अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत कयासों व बनावटी आधारों के आधार पर व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को मात्र तंग व परेशान करने की नियत मात्र से प्रस्तुत की गई है। जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादग्रस्त भूमि के विधिवत खातेदार काश्तकार है। जिन्हें बिना किसी युक्तियुक्त व तर्कसंगत आधारों के साथ प्रस्तुत के माध्यम से उसके उपयोग व उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता। अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील में विवादित भूमि से अपीलांट् का कोई सरोकार नहीं है। ना ही उक्त भूमि में अपीलांट् का कोई टाईटल, राईट व इन्टरेस्ट बनता हैं ऐसी स्थिति में अपीलांट् को उक्त प्रस्तुत करने का अधिकार हासिल नहीं है, ना ही अपीलांट् वादग्रस्त भूमि से किसी प्रकार से कोई व्यथित/प्रभावी पक्षकार ही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् की लोकस स्टेण्डाई के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपील के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट् ग्राम खारी चारणान के जागरूक ग्रामवासी है। वादग्रस्त भूमि ग्राम खारी चारणान की कचरा संग्रहण हेतु आवंटित भूमि तथा ओरण एवं चारागाह की भूमि रही है। जिसके विधि विरूद्व तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। उक्त आदेश से ग्रामवासियो के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा आदेश जैर अपील अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर पारित किया गया आदेश है। इसी तथ्य को आधार बनाते हुए अपीलांट् द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपील प्रस्तुत करने की इजाजत मांगी गई है। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 10–11–2022 को अपील दर्ज रजिस्टर करने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे साबित होता है कि अपीलांट् को अपील

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त है। न्यायालय द्वारा उक्त अपील के माध्यम से यह तय किया जाना है कि क्या अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत आदेश है अथवा नहीं? आदेश जैर अपील से ग्रामवासियों के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ रहा है अथवा नहीं? इस प्रकार प्रस्तुत अपील के माध्यम से अपीलाधीन आदेश/आवंटन की वैधानिकता को तय किया जाना है। जिसका निर्धारण अपील के गुणावगुण पर बहस सुनने के पश्चात् ही किया जा सकता है। अपीलांट् व अन्य ग्रामवासी अपीलाधीन आदेश से स्पष्ट रूप से व्यथित पक्षकार है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् को अपील प्रस्तुत करने पूर्ण अधिकार हासिल है। लिहाजा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की प्राथमिक आपत्ति खारिज फरमाई जाकर अपीलांट् की अपील का निर्धारण गुणावगुण पर किया जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों को प्राथमिक आपत्ति पर सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट् द्वारा उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 08–02–2022 से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा धारा 96 का जवाब प्रस्तुत करते हुए अपीलांट की अपील को लोकस स्टेण्डाई के बिन्दु पर खारिज करने की मांग की गई है। धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के निर्धारण हेतु हमने अपीलधीन आदेश, अपील के आधारों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील के आधारों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अपील के मुख्य आधार यह लिया गया है कि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त की भूमि नहीं है ना ही सक्षम आवंटन अधिकारी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त भूमि का आवंटन ही किया गया है। इसी के साथ कथन किया गया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। इसी के साथ अपीलांट् द्वारा अपील का दूसरा मुख्य कथन यह लिया गया है कि वादग्रस्त भूमि ओरण व ग्राम

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

वासियों के कचरा संग्रहण हेतु आवंटित भूमि रही है। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया यह साबित होता हो कि उक्त भूमि ओरण अथवा कचरा संग्रहण हेतु आवंटित भूमि रही हो। इस संबंध में हमने पत्रावली के साथ संलग्न स्टेट के जवाब का भी अवलोकन किया। स्टेट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत जवाब के पैरा संख्या 3 में अभिलिखित किया गया है कि जॉच मौके व आस पड़ौस के लोगों से पूछताछ करने पर खसरा नम्बर 231/196 व खसरा नम्बर 659/196 तादादी 6.3225 हेक्टर भूमि पर वादी का विगत् कई वर्षो से कब्जा बताया गया है। स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब के किसी भी पैरा में यह अंकित नहीं है कि उक्त भूमि ओरण अथवा कचरा संग्रहण हेतु आवंटित भूमि रही है अथवा उक्त कार्य हेतु भूमि का उपयोग व उपभोग किया जा रहा हो। ऐसी स्थिति में अपीलांट के कथन मात्र से अपीलांट् को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त होना साबित नहीं होता है। इसी प्रकार अपीलांट् का अन्य कथन कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा फर्जी दस्तावेजात तैयार करवाते हुए आवंटन आदेश तैयार किया गया है, इस संबंध में अपीलांट् द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलांट् के आवंटन की वैधता पर प्रश्नचिन्ह् लगाने बाबत् कोई कार्यवाही अपीलांट् द्वारा आज दिनांक तक की गई हो। ऐसी स्थिति में अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील के दोनों आधारों के संबंध में अपीलांट् कोई ठोस कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील के माध्यम से साबित करने में असफल रहे है। इसी संबंध में न्यायालय का यह भी मत है कि यदि वादग्रस्त भूमि ओरण अथवा कचरा संग्रहण हेतु आरक्षित भूमि रही है तो ऐसी स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच अथवा तहसीलदार जोकि भूमिधारक होता है, को न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते हुए आदेश जैर अपील को चुनौती दी जानी चाहिए थी। प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त विवेचन से साबित है कि जिनके अवलोकन से प्रथम दृष्टया ही साबित होता है कि अपीलांट् के हक व हकुक वादग्रस्त आराजी पर विद्यमान नहीं होने से अपीलांट् वादग्रस्त भूमि के बाबत् हितबद्व पक्षकार नहीं है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की प्राथमिक आपित्त बाबत् लोकस स्टेण्डाई स्वीकार की जाकर अपीलांट्

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

की अपील लोक स्टेण्डाई के बिन्दु पर इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर